प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बत्तीस'

प्रश्न सं. [क्र. 6533]

[22/3/2017]

परिशिष्ट - 01

अति आवश्यक
प्रश्न क्र. 6533

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/उ.वि./मार्गदर्शिका/2002/62 भोपाल, दिनांक 2-5-2002

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर्स,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश
3. प्राचार्य,
   उत्कृष्टता विद्यालय (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषयः– उत्कृष्टता विद्यालय के मार्गदर्शिका में संशोधन।

सन्दर्भः–म.प्र. शासन के पत्र क्र./एफ–44–4/20–बी–2/2002 दिनांक 20.3.2002

—"—

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ प्रेषित "मार्गदर्शिका" में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं:–

"विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य में "मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका" के स्थान पर "मुख्य नगर पालिका अधिकारी" तथा "जिला पंचायत की शिक्षा समिति के प्रभारी" के स्थान पर "जिला पंचायत शिक्षा समिति के अध्यक्ष "पढ़ा जाए।

प्रबंध समिति में सदस्य के रुप में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम भी सम्मिलित किया जाये।

प्राचार्य पद हेतु वांछित योग्यताएं :– मार्गदर्शिका में प्राचार्य पद की योग्यता संबंधी बिन्दु 1 में "प्राचार्य की आयु आवेदन दिनांक को 48 वर्ष" के स्थान पर "54 वर्ष से अधिक न हो" स्थापित किया जाए।

प्रवेश प्रक्रिया– इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रवेश हेतु परीक्षा में बैठने के लिए "छात्र / छात्राओं की आयु 30सितम्बर 2002 को 13 से 14 वर्ष के बीच होना चाहिए "को विलोपित कर इसके स्थान पर "प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि को छात्र / छात्रा की अधिकतम आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए"।

शैक्षणिक योग्यता में 8 वीं बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. की परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को भी शामिल किया गया है।

"प्रवेश परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट / पोस्टर आर्डर संचालक लोक शिक्षण म.प्र. गौतम नगर" के स्थान पर "संबंधित जिले के प्राचार्य उत्कृष्टता विद्यालय के नाम से देय "पढ़ा जाए।

मूल्यांकन बिन्दु के अन्तर्गत अंतिम पंक्ति में प्रवेश के पात्र प्रत्येक जिले के "105" विद्यार्थियों के स्थान पर "240" की संख्या स्थापित की जाए।

अतारां. 6533

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 25/3/10

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 44-25/20-2/2010:: राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग द्वारा संचालित समस्त उत्कृष्ट विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 50 सीट तक अथवा उससे कम संख्या में सीटों की वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। शासन द्वारा इस सीट वृद्धि के लिये कोई अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान नहीं किये जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एस० एन० शर्मा)
उप सचिव
म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा

पृ०क्र० एफ 44-25/20-2/2010 भोपाल, दिनांक 25/3/10

प्रतिलिपि:-

1- निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी/स्कूल शिक्षा विभाग
2- आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र०भोपाल
3- आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र०भोपाल
4- समस्त संभागीय आयुक्त, म०प्र०
5- समस्त कलेक्टर म०प्र०
6- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र०
7- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म०प्र०
8- आदेश पुस्तिका

क्र. 1 से 7 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव 29/3/10
म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

128
29/3/10
O.S.D
(Excellence)
29.03

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

शिक्षण सत्र इस बिन्दु की अंतिम पंक्ति में शिक्षा सत्र "1 जुलाई 2002 से 30अप्रैल 2003 होगा" के स्थान पर "शिक्षा सत्र एवं अवकाश शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

विषयांकित मार्गदर्शिका में उपर्युक्तानुसार संशोधन अंकित कर तदनुसार आगामी कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(डी.पी.दुबे)
लोक शिक्षण आयुक्त
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 2-5-2002.

पृ.क्रमांक/उ.वि./मार्गदर्शिका/2002/ 63

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय [illegible] भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग।
3. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र.
6. निज सचिव, मान. शालेय शिक्षा मंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल।
7. निज सचिव समस्त, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्री, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय आयुक्त को सूचनार्थ।
9. समस्त आयुक्त, नगर निगम।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

लोक शिक्षण आयुक्त
मध्यप्रदेश

[illegible] अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग
शाखा-2